

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/22089/SBL/SAMBHAL/115/CFO
दिनांक: 10-09-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स R.R.K. SCHOOL SITA ASHRAM ROAD CHANDAUSI DISTRICT SAMBHAL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 507 509 510, SITA ASHRAM ROAD CHANDAUSI, CHANDAUSI तहसील - CHANDAUSI जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	3	0	10.95 mt.

तथा प्लॉट एरिया 11195.31 sq.mt है। भवन का अधिभोग R.R.K. SCHOOL SITA ASHRAM ROAD CHANDAUSI DISTRICT SAMBHAL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 13-09-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री राम सनेही शर्मा के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रभगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 14-09-2023 से 13-09-2026 तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सफाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष जाँच होगा।"

Note : एफएसएसओ चन्दीसी द्वारा प्रभगत भवन के मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो उक्त विद्यालय को समसंख्यक यूआईडी न0 पर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है तथा पूर्व निर्मित भवन होने के कारण शासनादेश 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022 के अन्तर्गत भी परिभाषित है। भवन में अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने एवं भवन में विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित से प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। शासनादेश के अनुसार भवन के सैटबैक का निर्धारण सत्ताप्राधिकारी/नियतप्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एफएसएसओ चन्दीसी की संस्तुति आख्या के आधार पर नवीनीकरण निर्गत।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-09-2023
स्थान : SAMBHAL



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KRISHNA KANT OJHA

FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9

14-09-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.